क्रम-संख्या--557

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 16 जुलाई, 1990

आषाढ़ 25, 1912 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1764/सत्रह-वि-1---1 (क) 14-1990

लखनऊ, 16 जुलाई, 1990

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 पर दिनांक 13 जुलाई, 1990 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1990 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1990]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 29 मार्च, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां-कहीं भी शब्द और अंक "31 मार्च, 1990" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1990" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 मार्च 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1990" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1990, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 1764(2)/XVII-V—1-1(KA)-14-1990

Daed Lucknow, July 16 ,1990

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Municipality, Notified Area Aur Town Area (Alpakalik Vyawastha) (Dvitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1990 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1990) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 13, 1990:

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES, NOTIFIED AREAS AND TOWN AREAS (ALPAKALIK VYAVASTHA) (SECOND AMENDMENT) ACT, 1990

[U. P. Act No. 16 of 1990]

(As passed by the U.P Legislature)

An
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977.

It is hereby enacted in the Forty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) (Second Amendment) Act, 1990.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 29, 1990.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 13 of 1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the word and figures "March 31, 1990" wherever they occur, the word and figures "September 30, 1990" shall be *substituted.*

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, *for* the word and figures "March 31, 1990" the word and figures "September 30, 1990" shall be *substituted.*

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) (Amendment) Ordinance, 1990 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the Provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 117 सा० विधा०--(1307)--1990--850 (मैक०)।